न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं03, उन्नाव।
सत्र परीक्षण सं0 746/2020
राज्य प्रति मिथलेश उर्फ विमलेश आदि

21.03.2023

पत्रावली पेश हुई । अभियोजनपक्ष की तरफ से आवेदनपत्र 21 अन्तर्गत धारा 445 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभिरयुक्तगण के मारने पीटने से प्रार्थी के लड़के विजय कुमार की मृत्यु हुई । प्रार्थी के दूसरे लड़के निर्मल कुमार के सर पर गम्भीर चोटें आयी तथा प्रार्थी को श्रीमती जानकी व रोहित जब बचाने गये तो उन्हें अभियुक्तगण ने मारपीट कर चोटें पहुंचायी । प्रार्थी को दौरान विवेचना अभियुक्तगण के द्वारा कारित अपराध के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक व विवेचक को चुटहिल निर्मल कुमार को शरीर पर पहुंचायी गयी गम्भीर चोटो के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र दिया किन्तु विवेचक ने उक्त प्रार्थनापत्रो पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही मेडिकल कालेज लखनऊ से प्रपत्र ही एकत्र किये । श्रीमान जी के आदेश पर ही थाना माखी की पुलिस ने पत्रावली में प्रपत्रो को सम्मिलित किया । अभियुक्तगण राजू कुमार, लल्लू, तेजपाल, सुरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र, अरूण उर्फ अरून एवं सूर्यबली के विरूद्ध विवेचक ने लाभान्वित होकर धारा 149,147,323,120 बी आई0पी0सी0 के अन्तर्गत फर्जी साक्ष्य तैयार करके आरोपपत्र प्रेषित किया । पुलिस ने उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया जहां जमानतीय अपराध होने के कारण उन्हें जमानत दे दी गयी । श्रीमान जी न्यायालय के द्वारा दिनांक 06.12.2022 को सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147,302 सपठित धारा 149, 120 बी व 323 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये है । इस प्रकार अभियुक्तगण राजू कुमार,लल्लू,तेजपाल,सुरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र, अरून उर्फ अरूण एवं सूर्यबली ने धारा 147,323,120बी आई0पी0सी0 के अन्तर्गत ही जमानत करायी है इसलिए आवश्यक हो गया है कि उपरोक्त अभियुक्तगण को हिरासत में लेने की कृपा ी जाए ।

अभियुक्तगण की तरफ से आपत्ति दिनांक 21.03.2023 प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया है कि अभियुक्तगण ने श्रीमान जी के आदेश के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 442 जा0 फौ0 में याचिका सं0 419/2023 माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की । मा0 उच्च न्यायालय ने विपक्षीगण को नोटिस जारी की थी जिसमें वादी मुकदमा ने पक्षकार बनाने का मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया । मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई हेतु फरवरी के तीसरे सप्ताह में तारीख नियत की गयी थी किन्तु अभी तजक सुनवाई नहीं हो सकी है क्योकि वादी मुकदमा ने अपना प्रति शपथपत्र दाखिल

नहीं किया है । ऐसी स्थिति में वादी का प्रार्थनाप अन्तर्गत धारा 445 पोषरणीय नहीं है और खारिज होने योग्य है अत' श्रीमान जी से प्रार्थना है कि वादी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 445 जा0 फौ0 खारिज किया जाए ।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया ।

प्रश्नगत प्रकरण में न्यायालय के द्वारा समस्त अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 06.12.2022 को उभयपक्षो को सुनने के उपरान्त आरोप अन्तर्गत धारा 147,149,120 बी, 323 व 302 भा0दं0सं0 के तहत आरोप तय किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया और तदनुसार दिनांक 06.12.2022 को ही समस्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उनकी उपस्थिति में उपरोक्त धाराओ में आरोप तय कर दिया गया । चूॅकि विवेचक के द्वारा आरोपपत्र अभियुक्तगण मनोज कुमार, मिथलेश उर्फ विमलेश एवं राजवती के विरूद्ध धारा 147,323,302,120बी आई0पी0सी0 के अपराध हेतु आरोपपत्र प्रेषित किया गया तथा शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध मात्र धारा 147,323,120 बी आई0पी0सी0 के तहत आरोपपत्र प्रेषित किया गया और शेष अभियुक्तगण के द्वारा उपरोक्त जमानतीय अपराध में ही जमानते करायी गयी जबकि दिनांक 06.12.2022 को समस्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147,149,120 बी, 323 व 302 भा0दं0सं0 के तहत आरोप तय किया गया है । ऐसी स्थिति में शेष अभियुक्तगण को भी उपरोक्त धाराओ में जमानते कराया जाना आवश्यक है । अभियुक्तगण के कथनानुसार उक्त आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में याचिका लम्बित है अतः इस आधार पर अभी इस बिन्दु पर आगे की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए । यहॉ यह स्पष्ट करना है कि मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संस्थित कर देने मात्र से या विचाराधीन रहने मात्र से अग्रिम कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जा सकता है । अतः न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2022 के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि संगत होगा । अतः अभियुक्तगण राजू कुमार, लल्लू, तेजपाल,सुरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र, अरून उर्फ अरूण एवं सूर्यबली नियत तिथि तक न्यायालय में सर्मपण करे ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके । तदनुसार अभियोजनपक्ष के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति व अभियुक्तगण के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निस्तारित की जाती है ।

पत्रावली दिनांक 11.04.2023 को पेश हो ।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0 3,उन्नाव
21.03.2023